

oU; i k.kh fof/k-fpfdrI k' kkL= ¼QkjſfUI d½ ds
fy; s tkp vf/kdkfj ; ka grq QhYM euy

I h-i h- 'kekz

Hkkj rh; oU; tho I Lfkku]
i h-vks ckDl 18 pUnxuh] ngj kniu

vo^gk 0; ki kj e^g ou; i k. kh v^g rFkk mRi kn , oa udyh vo; o

| | | |
|-------------------|---|--|
| चमड़ा | : | बाघ, तेन्दुआ, हिम तेन्दुआ, छोटी बिल्लियों के फर, साँप, चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, गौर, यॉक, फेक (नकली) |
| हड्डी | : | बड़ी बिल्लियाँ (शाराब, केश तेल, टी.सी.एम.), भालू जंगली सुअर |
| एंटलर्स / सर्गिंग | : | चीतल, सांभर, बारहसिंगा, हॉग डियर, बार्किंग डियर, हिमालयन थार, गोरल, सेरों, चिंकारा, काला हिरण, भालू सीविट, |
| पित्त | : | भालू सिवेट (कवर बिज्जू) |
| कस्तूरी फली | : | कस्तूरी मृग, फेक (नकली) |
| हाथीदंत | : | हाथी, जंगली सुअर, फेक (नकली) |
| पंजे | : | बाघ, तेन्दुआ, भालू, पक्षी, रेंगनेवाला प्राणी, नकली |
| फिनिश उत्पाद: | | शाहतूश शॉल, मगरमच्छ / सर्प खाल के पर्स, बटुआ, जूते, ऐश ट्रे, तेल, पेंट और ड्राइंग ब्रश, गहने (चूड़ियाँ, पेडेन्ट आदि) |
| जीवित प्राणी | : | तोते, रेप्टर्सर (शिकारी चिड़ियाँ), सरीसर्प वाले, बंदर, पक्षी, कछुए, कोरल से बनाये गये—हार, स्मृति चिन्ह। |
| पौधे | : | ओषधीय—कुथ, <i>Cordiceps sinensis</i> (यारसागुंबा), सजावटी ऑर्किड |

vij k/k tkp ds fofhkuu pj .k

- i. अपराध के दृश्य का अवलोकन एवं आंकलन
- ii. भौतिक सबूतों की पहचान
- iii. भौतिक सबूतों का संग्रहण एवं पैकेजिंग
- iv. फॉरेन्सिक प्रयोगशाला के लिए सुरक्षित परिवहन
- v. नमूने का विश्लेषण एवं परिणामों की व्याख्या
- vi. रिपोर्ट-लेखन
- vii. अदालत में विशेषज्ञ का साक्ष्य

Hkkfrd | cr D; k gS \

यह ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो यह स्थापित करती है कि अपराध किया गया है या अपराध और अपराधी के बीच या अपराध और शिकार (वन्यप्राणी) के बीच एक परस्पर संबंध (Link) स्थापित करता है।

voSk f'kdkj ds rjhds & vij k/k n' ;

- विष प्रयोग द्वारा
- गड्ढे में गिराकर अवैध शिकार
- बिजली के करंट द्वारा
- बन्दूक/आग्नेय अस्त्रों से
- जिन ट्रेप, जी.आई. तार का फंदा, रस्सी का फन्दा
- जाल
- गोद (मुख्यतः चिड़िया के लिए)

vij k/k LFky ij l kFk j [kus okyh olrq @mi dj .k

- टार्च
- मैग्नीफाईंग ग्लास

- टेप/रस्सी
- नोटपैड
- कैमरा
- फीता
- चिमटा
- रक्त आदि संग्रह के लिए बर्तन/पात्र जैसे : शीशियाँ, जिपर्ड पालीथीन बैग्स, प्लास्टिक की डब्बियाँ।
- मास्क और टोपी, दस्ताने
- सिलिका जेल के दाने
- तार काटने वाला प्लॉयर
- कम्पास
- जी.पी.एस. उपकरण
- परमानेन्ट मार्कर पेन
- प्लास्टर ऑफ पेरिस, मग, वाटर बाटल आदि
- ट्रेसिंग पेपर, स्केच पेन, मेजरिंग टेप
- ब्लाटिंग पेपर, कैंची

vijlk/LFky ij Nkuchu dʒ s dh tk; ʃ

1. तुरंत घटना—स्थल पर पहुंचे।
2. वाहन को अपराध—दृश्य के ज्यादा करीब न लाया जाये।
3. तुरंत रस्सी या टेप से दृश्य को घेर दें ताकि जांच कर्त्ताओं के अतिरिक्त अन्य कोई क्राइम सीन से छेड़—छाड़ न कर सके।
4. यदि संभव हो तो क्राइम सीन की फोटोग्राफी एवं विडियो रिकार्डिंग कीजिये।
5. अपराध—दृश्य की छानबीन के दौरान लगातार नोट्स लीजिये जिसमें यह बताया जाये कि बरामद साक्ष्य कहां मिला और किसके द्वारा एकत्र किया गया तथा इसकी पैकिंग और चिन्हांकन किसके द्वारा किया गया।

vijik/k&n' ; dh Qks/kxkQh %& D; k vko' ; d gA

1. फोटोग्राफ अपराध—दृश्य के तथ्यों का स्थायी रिकार्ड प्रदान करता है।
2. यह भावी उपयोग हेतु तथ्यों को रिकार्ड करता है।
3. यह अपराध—दृश्य के पुनर्निर्माण में मदद करता है।
4. यह अन्य रिकार्डों का पूरक है।
5. यह दृश्य के विवरण को रिकार्ड करता है।
6. यह वस्तुओं के स्वरूप और उनकी स्थिति का सचित्र प्रतिनिधित्व करता है।
7. यह अदालत में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करता है और अन्वेषक की गवाह की पुष्टि करता है।

vijik/k&n' ; dh Qks/kxkQh grq vko' ; d I kexh %&

1. सेल्फ लोडिंग कैमरा/डिजिटल कैमरा प्रकाश व्यवस्था के साथ, नजदीक एवं दूर के शॉट लेने में समर्थ लेन्सों सहित।
2. नई बैटरी या पूरी तरह चार्ज सैल इसे सुनिश्चित करें।
3. SLR कैमरे के लिए पर्याप्त रंगीन/श्वेत-श्याम रोल।
4. फ्लेश।
5. टिपाई स्टेण्ड।


vijik/k&n' ; Qks/kxkQh dS s dh tk; s

1. फोटोग्राफर को समझाने की योजना बनाने के पहले जांच—अधिकारी को अपराध स्थल पर सरसरी नज़र डाल लेना चाहिए।
2. अपराध—दृश्य का लम्बी दूरी, मध्य दूरी, कम—दूरी या पास से चित्रांकन करना चाहिए। लम्बी दूरी का चित्र अपराध—दृश्य के पूरे स्थान को दर्शायेगा, मध्यवर्ती चित्र वास्तव में जहां अपराध किया गया है उसको दर्शाएगा, जबकि नजदीकी चित्र विभिन्न भौतिक साक्ष्य, चोटों, स्थितियों और मरे हुए वन्यप्राणियों के शरीर की स्थिति बतायेगा।
3. पास के चित्रांकन के समय मापने वाला फीता रखा जाना चाहिए क्योंकि उससे चित्रों को बड़ा करने के बावजूद साक्ष्य के वास्तविक आकार का पता चलेगा। यदि फीता न हो तो किसी भी मानक वस्तु का जैसे कि कलम, इस्तेमाल किया जा सकता है।


- चित्रों की संख्या में कमी न करें। जांच-अधिकारी जांच हेतु जितने भी चित्रों को उपयोगी समझे उतने चित्र लिये जायें। विभिन्न वस्तुओं की दूरी बताते हुए अपराध परिदृश्य का रेखाचित्र बनायें।
- विविध तकनीकों द्वारा साक्ष्य की खोज।

[kkst dh fofklu rduhdः]


I h/kh j s[kk eः fcUng I s fcUng [kkst




eMyh; ॥tkuy॥ fof/k vFkok prfkkak
॥DokMj ॥V॥ में विभाजित और चतुर्थांश में एक-एक करके खोजना।




I fi ly (spiral) fof/k & शून्य बिन्दु/दृश्य के केन्द्र बिन्दु से शुरू करना और सर्पिल गति से बढ़ना।



I V॥ fof/k & अपराध दृश्य को सुविधाजनक पट्टियों में बांटा जाए और प्रत्येक पट्टी की सावधानी से जांच की जाए।



f=T; h; (radial) f of k & एक चक्र के काल्पनिक केन्द्र बिन्दु से अलग-अलग दिशाओं में विकिरण (रेडियेशन) की भाँति पूरे क्षेत्र को कवर करना।



frjLjs[kr fof/k ॥०॥ gfp eFKM॥

सुराग सामग्री की खोज & दो आयामों द्वारा की जाती है। पहले लंबाई में जैसे कि पट्टी विधि में, और बाद को चौड़ाई की खोज की जाती है।

vijk/k n'; e\ vkxs dk dk; ॥&

- अपराध क्षेत्र में वन्यप्राणी और मनुष्यों के पद-चिन्ह लीजिए।
- वाहन के टायर की छाप लीजिए।
- भौतिक सबूतों को एकत्रित करना। (खून, बाल, हड्डियाँ, मांस और कोई भी बाहरी वस्तु जैसे माचिस की तीली, अखबार, कागज के टुकड़े, पन्नी, रेपर आदि)
- वन्यप्राणी के शरीर पर घाव या निशान खोजें, यदि शव मिला है तो।
- गोली के निशान, खाली खोखे।
- शरीर या त्वचा पर काटने के निशान।
- हड्डियों को क्षति।
- जाल के निशान, तार, फन्दे, जिनट्रेप आदि।
- शरीर एवं पैरों पर फंदे, ट्रेप के निशान देखिये।
- शरीर की हालत (रिगरमार्टिस), मरखी के अंडे, मैगर के निकास आदि से मृत्यु के समय का अनुमान।
- यह ध्यान रखें कि अपराध स्थल पर मिली हरेक वस्तु एक अहम सुराग उपलब्ध करा सकती है।

vi jk/k&n'; dk js[kkdu &

1. विभिन्न वस्तुओं के बीच की दूरी बताते हुए अपराध दृश्य का चित्रांकन करें। अपराध-दृश्य के चित्र और रेखाचित्र एक दूसरे के पूरक हैं। रेखाचित्र से अपराध-दृश्य जितना स्पष्ट दिखाई देता है उतना तो हजारों तस्वीरों द्वारा संभव नहीं होता। यह रेखाचित्र विभिन्न वस्तुओं के आयामों को बताता है और एक दूसरे से तुलनात्मक दूरी तथा दिशा या दिकस्थिति निर्धारण करता है।
2. रेखाचित्र में दिखाई गई वस्तुओं को दर्शाने के लिये संख्या या कोड के जरिये आलेखित (legend) किया जाना चाहिए। कार्यालय में आने के बाद रेखाचित्र के आलेखन से देरी होने पर भूलने की संभावना रहती है। अतः यह काम अपराध-स्थल पर ही करें।
3. हमेशा दो निकटतम स्थायी वस्तुओं से दूरी को मापें।
4. हमेशा उत्तर दिशा को संकेतिक करें।

oU; i k. kh QkWfl d v/; ; u ds fy, Årdks ds ueus dk I xg djuk

1





2



1- सिलिका जेल—नीला—जो कि फोटोग्राफरों या रसायनों की दूकान पर उपलब्ध होता है।

2- एक स्क्रू ढक्कन वाली प्लास्टिक शीशी लीजिए और शीशी के आकार का शोषक कागज जैसे फिल्टर पेपर कांटे।



3- प्लास्टिक शीशी में सिलिका जेल आधे तक भरें और सिलिका जेल पर कटा हुआ वृत्ताकार शोषक कागज रखें और मांस/गोबर का नमूना उसके ऊपर रखें।

4- मांस/गोबर का नमूना उसके ऊपर रखें।

Hkkfrd | k{; dk | xg

द्वारा :

अपराध का दृश्य

वन्यप्राणी

संदिग्ध और उसका वातावरण

mi yC/k Hkkfrd | cirk d k | xg

रक्त—अधोस्तर यानी सब—स्ट्रेट पर वायु—शुष्क रक्त।

ऊतक / मांस—वन्यजीव संस्थान के प्रोटोकॉल अनुसार।

त्वचा— पैकिंग और सील करने के पहले इसे वायु—शुष्क करके नमीं हटा दें।

हड्डियाँ—यथावत।

Ropk dk Qkjfl d egRo

प्रयोगशाला में त्वचा का परीक्षण निम्नांकित पर जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है।

1. प्रजाति
2. त्वचा की आयु
3. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग

[kky dk | xg

1. दस्ताने का उपयोग करें।
2. त्वचा छाया में वायु—शुष्क होने दें।
3. एयर टाइट पैकिंग सामग्री का उपयोग न करें।
4. प्रत्येक प्रदर्श ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

Årdks dk Qkjfl d egRo

प्रयोगशाला में ऊतकों का परीक्षण निम्नांकित पर जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है।

1. यदि यह ऊतक मानव या वन्यप्राणी—मूल के हैं।
2. प्रजातियों का मूल।
3. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

Årdks dk | xg

1. दस्तानों का उपयोग करें।
2. दो ऊतकों के बीच सम्पर्क से बचें।
3. एयर टाइट पैकिंग सामग्री का उपयोग न करें।
4. तरल रक्त रुई के फोये पर एकत्रित किया जा सकता है और पैकिंग के पहले सुखायें।
5. प्रत्येक प्रदर्श को ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

gfMM; ks dk Qkysf d egRo

प्रयोगशाला में हड्डियों का परीक्षण निम्नांकित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

1. मानव या वन्यप्राणी के मूल का पता लगाना।
2. प्रजातियों का मूल।
3. वन्यप्राणी का लिंग।
4. वन्यप्राणी की उम्र।
5. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

gfMM; ks dk | xg

1. दस्ताने का उपयोग करें।
2. प्रत्येक प्रदर्श ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

[ku dk Qkysf d egRo

खून का प्रयोगशाला में परीक्षण निम्नांकित की खोज के लिए किया जाता है।

1. क्या यह रक्त है या कुछ अन्य तरल पदार्थ (तेल, सिरप आदि)।
2. क्या यह रक्त मानव या वन्यप्राणी मूल का है।
3. खून के धब्बों की आयु।
4. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

[klu ds /kCs dk | xg]

यह पकड़े गये संदिग्ध के शरीर पर अपराध—स्थल पर या उसके समीप पत्थरों पर, पत्तों पर, जप्त ट्रैप एवं अन्य हथियारों पर मिल सकता है।

1. दस्ताने का उपयोग करें।
2. रक्त/दाग छाया (हवा) में सुखायें (वायु—शुष्क)
3. दो दाग के बीच का सम्पर्क बचायें।
4. एयर टाइट पैकिंग—सामग्री का उपयोग न करें।
5. तरल रक्त रूई के फोये पर एकत्र करें एवं पैकिंग के पहले सुखायें।
6. प्रत्येक प्रदर्श का ठीक से लेबल किया जाये।

ckyka dk Qk|f| d egRo

बालों की फॉरेंसिक जांच निम्नांकित जानकारी के लिए की जाती है।

1. प्रजाति का मूल।
2. बालों की जड़ सेल/कोया यानी फॉलिकल का डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग।

ckyka dk | xg

यह अपराध—स्थल पर, अभियुक्त के कपड़ों पर, जप्त हथियारों या ट्रैप पर वाहन में मिल सकता है। इसे ढूँढ़ने के लिए मैग्नीकटिंग ग्लास का उपयोग करें।

1. चिमटी से उठायें।
2. दो अलग—अलग स्थानों से बालों के नमूने एकत्र किये जाना चाहिए और उन्हें अलग—अलग पैकिंग रखें।
3. बाल मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
4. कागज या प्लास्टिक थैलियों में रखें।

vklXus L= ¼Qk; j vke॥ ½ vkg xksyk ck: n dk Qk॥५॥ d egRo

1. यदि लाइसेंसी हो तो मालिक का पता लगाया जा सकता है, अन्यथा किस व्यक्ति से जब्त किया गया है।
2. पिछली फायरिंग का संभावित समय।
3. मृत वन्यप्राणी के शरीर से पाई गोली के माध्यम से उस हथियार का पता लगाया जा सकता है जिससे कि गोली चली।
4. गोली कितनी दूरी से चली।

vklXus L=kः dk | xg rFkk mUga crkः | cr | gf{kr j [kuk

1. आग्नेयस्त्र सावधानी से हटा लेना चाहिए। ख्याल रखें कि उस पर उंगलियों के निशान हो सकते हैं जिनके नष्ट होने की संभावना होती है।
2. आग्नेयस्त्र की नाल को रुई के फोये से बंद करें।
3. आग्नेयस्त्र का विवरण अच्छी तरह चिन्हित किया जाना चाहिए और उस पर नम्बर डाले जाना चाहिए।
4. अंत में आग्नेयस्त्र को एक उपयुक्त बॉक्स में बंद किया जाना चाहिए साथ ही उसे सील किया जाना चाहिए।

dkj r॥ & [kksyka dk | xg rFkk j [k&j [kko

1. प्रदर्श को धोना या साफ करना नहीं चाहिए।
2. कारतूस—खोलों को सावधानी से उठाया जाये। प्लास्टिक नोंक वाले चिमटे का उपयोग करना चाहिये।
3. प्रत्येक खाली कारतूस को एक अलग प्लास्टिक की थैली में रखा जाना चाहिए, ध्यान रखें कि इसकी सामग्री बाहर न गिर पाये।
4. फॉयरिंग पिन एवं ब्रीच फेस—मार्क्स को रुई के गद्दीदार भराव के द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक आवरण के बारे में विवरण प्रलेखित किया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक प्रदर्श का ठीक से लेबल किया जाना चाहिए।

xksy&ck: n dk | xg vkj | kk'y&xksyh vkj Nj

1. गोली को धोना या साफ करना नहीं चाहिए।
2. प्लास्टिक—नोंक के चिमटे से सावधानी से उठाया जाना चाहिए।
3. प्रत्येक कारतूस—खोल एक अलग प्लास्टिक थैली में रखा जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सामग्री बाहर न गिर जाये।
4. बैरल के निशान रुई के गद्दीदार उपयोग द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक छर्ँा या गोली के बारे में विवरण प्रलेखित किया जाना चाहिए।
6. प्रत्येक प्रदर्श लेबल किया जाना चाहिए।

, gfr; kr@| ko/kkuh

1. नमूने का आकार पर्याप्त हो।
2. तुलना के लिए मानक या नियंत्रक।
3. दाग आदि खरोंचे नहीं जाना चाहिए परन्तु अधोस्तर यानी सब्सट्रेट के साथ भेजा जाना चाहिए।

i fjj {k.k

खून, ऊतक जैसे जैविक पदार्थ प्राकृतिक अपघटन के कारण कुछ समय के दौरान अपने चरित्रों को बदलते हैं।

प्रदर्शों को ज्यादा गर्मी से बचायें

परीक्षण हेतु, वन्यप्राणी सामग्री—पहचान तकनीकों को विभिन्न परीक्षण—प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है इसलिए परिरक्षण की भिन्न—भिन्न विधियां अपेक्षित हैं।

i dftx

1. सामग्री और साक्ष्य जो आसानी से निकाले जा सकें और जिसकी सुविधापूर्वक पैकिंग की जा सके।
2. प्रदर्शों के आकार, उनकी भंगुरता, भौतिक स्थिति और संचरण के दृष्टिगत उस डिब्बे का चुनाव किया जाय जिसमें उन्हें रखना है।
3. साक्ष्य को ठीक से चिन्हित तथा लेबल किया जाना चाहिए क्योंकि विश्लेषण/परीक्षण पूरा करने के लिए महीनों का समय लग सकता है।
4. प्रत्येक साक्ष्य अलग पैक किया जाना चाहिए।

| n'kkःds | kFk | k{; &pkVl

| अनु. क्र. | साक्ष्य | मात्रा | कंटेनर | मुहर | साक्षी | टिप्पणी |
|-----------|---------|--------|--------|------------------------|--------|----------|
| 01 | गोलियाँ | एक | 01 | WII वन्यजीव संस्थान | abc | कोई नहीं |
| 02 | हड्डी | पांच | 02 | WII वन्यजीव संस्थान | abc | कोई नहीं |
| 03 | बाल | गुच्छा | 03 | WII वन्यजीव संस्थान | abc | कोई नहीं |

| hfyx@yCfyx

1. अलग—अलग साक्ष्यों को अलग—अलग पैकेजों में सील करें।
2. एक बड़े कंटेनर में सभी पैकेट रखें और फिर सील/मुहर लगाया जाये।
3. मुहर—बंद कंटेनर पर स्पष्ट रूप से निम्न जानकारी होना चाहिए।
 - i. प्रकरण संख्या।
 - ii. सामग्री मिलने की तारीख और समय।
 - iii. सामग्री का नाम और विवरण
 - iv. सामग्री की खोज के स्थान और समय।
 - v. जांच—अधिकारी के हस्ताक्षर।
 - vi. गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर।

Vxdk.k&Vhi dk ik: i% bl s in'kkःds | kFk Hkst, a

प्रकरण संख्या पुलिस स्टेशन.....

कानून की धारा जिला

दिनांक राज्य

Vijk/k | f{kflr , oa FIR/POR dh | R; ifr

t: jh ijh{k.k dk Lo: i

- प्रदर्शी के प्रजाति—मूल का पता लगाना # 01
- यह पता लगाना कि जो प्रदर्श # 02 के रूप में चिन्हित किया गया है वह बाघ का है।

i kf/kdj.k dk i ek.k i =

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान, पी.ओ. बॉक्स-18, चन्द्रबनी, देहरादून, भारत को भेजी हुई प्रदर्श जो प्रकरण संख्या से संबंधित है, को परीक्षण करने का अधिकार है। पी.एस. U/s तारीख बनाम राज्य और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करने के लिए प्रदर्श—भागों को स्थान पर ले जाया जाये।

अग्रेषण प्राधिकरण के हस्ताक्षर और पदनाम

i fjudg&I jf{kr vks vPNh rjg i fjudg I fuf'pr dj;a D; kfd

निम्न गलतियाँ हो सकती हैं।

- साक्ष्य की मान्यता में विफलता।
- तमाशबीनों की भीड़ से अपराध—दृश्य को अनुचित संरक्षण करने में चूक।
- बहुत सारे वनकर्मियों की अपराध स्थल पर उपस्थिति से साक्ष्यों का संदूषण।
- अललटपू (हिट और मिस) शोध तकनीक।
- खोज में संगठन और संचार की कमी।
- मूल अपराध दृश्य के आपस—पास के क्षेत्र में खोज करने में विफलता।
- गवाह कहौ—कहौ मिल सकते हैं, यह नियत न कर पाना।
- उचित नोट्स, फोटो या वीडियो लेने में विफलता।
- अभिरक्षा में लिये गये सबूतों का संदूषण।
- प्लास्टिक की थैली में, सुखाने से पहले ही गीली/धब्बे लगी हुई सामग्री रखना।
- एक ही पैकेज में एक से अधिक चीजों की पैकिंग।
- निष्कर्ष निकालने में जल्दीबाजी करना एवं गलत निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही करना।

13. नाम और प्रसिद्धि के चक्कर में, अपूर्ण छानबीन के आधार पर ही मीडिया को जानकारी दे देना।

oU; i k. kh QkWfl d i z kx' kkyk ds fy, eW&l j puk

- जीव विज्ञान इकाई।
- आग्नेयास्त्र और विस्फोटक इकाई।
- फोटोग्राफी इकाई।
- टॉक्सीकोलॉजी इकाई।
- लेटेन्ट फिंगर प्रिंट इकाई।
- फॉरेंसिक पैथेलाजी इकाई।
- फॉरेंसिक एन्थ्रोपॉलोजी इकाई।
- फॉरेंसिक कीट विज्ञान इकाई।
- फॉरेंसिक ऑनटोलॉजी इकाई।

tho foKku bdkbl

खून के धब्बे, मांस, विष्ठा, बाल, वनस्पतिक नमूने आदि की पहचान।

अपनाई गई तकनीक:

माइक्रोस्कोपी, मॉरफोमेट्री (वन्यप्राणी का आकार अध्ययन करने का आकार), इलैक्ट्रोफॉरेसिस (वैद्युतकण संचालन), क्रोमेटोग्राफी, डी.एन.ए. आधारित तकनीक, सेरोलॉजी (सीरम विज्ञान)

vkXus L = vkf foLQkWd bdkbl

आग्नेयस्त्रों की पहचान—राईफल/शॉट बंदूक या चिकना बैरल बंदूक।

चलाये गये कारतूस (बूलेट तथा गोली), विस्फोटक/उपकरण।

अपनाई गई तकनीक:

माइक्रोस्कोपी, रासायनिक और यांत्रिक विश्लेषण।

Qks\ksxkQh bdkbz

अपराध—स्थल फोटोग्राफी

तुलनात्मक विश्लेषण के लिए तैयारी ।

अदालत के कमरे में प्रदर्शन ।

अपनाई गई तकनीकः

माइक्रो और मैक्रो (सूक्ष्म तथा स्थल) फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तुलनात्मक तैयारी ।

VkD| hdksyk\th bdkbz

पदार्थ की विषाक्तता:

इंसेक्टीसाइड (कीटनाशक), पेस्टीसाइड (मारी—मारक), द्यात्विक (मैटेलिक), जैविक,

अजैविक, रसायनिक

अपनाई गई तकनीकः

रासायनिक और यांत्रिक विश्लेषण ।

Qky\si d i fksyk\th bdkbz

अचानक अस्वाभाविक मृत्यु का कारण ।

शव परीक्षा

रोग

चोट लगना— यदि चोट से मौत होती है या कुछ और से ।

बिजली के झटकों से मौत ।

Qky\si d ufoKku ¼, UFkks\ k\y\k\th½ bdkbz

हड्डियां और दांत लंबे समय तक स्थायी बने रहते हैं ।

अनुमानित आयु ।

लिंग ।

चोटें ।

अपनाई गई तकनीकः

माइक्रोस्कोपी, मारफोमेट्री और तुलनात्मक विश्लेषण ।

fo"kkDrrik dh i gpkd ds fy, t\$od I kexh ds
I \$xg vkj i fjj {k.k grq i fLrdk

‘टॉकिस्कोलॉजी’ शब्द ग्रीक शब्द ‘टॉकिस्कन’ से प्राप्त किया गया है, अर्थात् विषाक्त पदार्थ जिसमें तीर की नोंक डुबा कर शिकार हेतु उपयोग करते थे। विषाक्तता का विश्लेषण: चूंकि अपराध बड़ी गोपनीयता से किया जाता है अतः उसके लिए विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र की अतिविशिष्ट विशेषज्ञता चाहिए।

विष देने का मुख्य साक्ष्य संबंधित वन्यप्राणी के शरीर के भीतर विष या उसके अवशेषों के रूप में पाया जाता है।

वन्यप्राणियों के अवैध शिकार के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न विषों के प्रकार जैसे

पेस्टीसाइड

कीटनाशक

मैटेलिक

जैविक

अजैविक

रसायन

jkl k; fud fo' y\$k.k I s I cirk d k I \$xg djus ds i wZ fuEu
fLFkfr; k\$ dks /; ku e\$ j [kdj I \$xg.k djuk pkfg, %&

A. i dj.k ftue\$ oll; i k.kh vHkh Hkh thfor gks %& यदि वन्यप्राणी अभी भी जीवित हो तो पेट की सामग्रियाँ जैसे उल्टी सामग्री, रक्त, मूत्र या मल, यदि उपलब्ध है तो इन्हें संग्रहित करना चाहिए। आस—पास बचा हुआ खाद्य या मांस हो तो इसे भी संग्रहित करना चाहिए, निकटतम जलाशय से पानी के सैम्प्ल भी लिये जाना चाहिए।

B. , \$ s i dj.k ft I es oll; i k.kh dh eR; q gks pdh gks %&

1. उन अंगों या ऊतकों का संग्रहण किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से द्वारा जहर दिया गया हो—आंत या उसकी सामग्री। एकोनिटम जहरीले तीर से शिकार एवं

सांप द्वारा काटे जाने की शंका होने पर त्वचा और उपसमवयस्क ऊतक (सब—क्यूटेनियस टिशू) को संग्रहित करना चाहिए।

2. अंगों जिनके माध्यम से जीवित प्राणी विष शरीर से बाहर निकालता हो जैसा:—
गुर्दे और आंत का संग्रहण।
3. शरीर प्रणाली में अवशोषण के बाद यकृत (प्लिहा), गुर्दे तथा बाल में विष का बचा रहता है, इन्हें भी संग्रहित करना चाहिए। आर्सेनिक या लेड विषाक्तता की जांच के लिए आस—पास के जलाशयों से पानी का सैम्प्ल तथा मिट्टी भी संग्रहित किया जाना चाहिए।
4. मूत्र, गोबर, लेंडी, लार, झाग आदि संग्रहित किया जाना चाहिए।
5. कंटेनर, पाऊच, पॉली बैग, बोतल आदि जिनमें जहर देने के पहले उसके पाउडर के बचे रहने का संदेह उसे भी संग्रहित किया जाना चाहिए।
6. अवशेष भोजन या जलाशय के नमूने भी संग्रहित किया जाना चाहिए।

I k{; kṣ dk i fjj {k. k

फॉरेंसिक जांच के लिए, जब्तशुदा सामग्री का अपघटन रोकने हेतु उसका परिरक्षण किया जाता है। आंत (विसरा) के संरक्षण के लिए रेक्टीफाइड स्पीरिट या 90 प्रतिशत इथेनॉल या एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी भी विषाक्त एल्कोहल या पांगविक (carbolic) आम्ल का संदेह हो तो सामग्री को नमक के संतृप्त घोल में संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि नमक का घोल संतृप्त नहीं है तो आंत में सड़न (putrefying) करने वाले वैकटीरिया बढ़ेगे और जैविक सामग्री/विषयुक्त जैविक पदार्थों या उनके संजातीयों यानी डेरिवेटीव को सड़ा देंगे। सामान्यतः पेट के द्रव पदार्थ संतृप्त नमक के घोल को पतला कर देता है इसलिए संतृप्त नमक के घोल को आंत पर डालने के बाद 10 से 15 ग्राम सादा नमक डालना चाहिए जो कंटेनर के नीचे अघुलित रहेगा।

jDr dk | j{k.k

प्रत्येक 01ml खून के लिए 20gm सोडियम फ्लोराइड चाहिए या एक एमएल खून के लिये पांच एमजी सोडियम सायरेट और 0.1 जीएम मरक्यूरिक क्लोराइड पर्याप्त है तदनुसार

जोड़े। (10gm सोडियम साइट्रिट + 0.2gm मरक्यूरी क्लोराइड को 100ml डिस्टिल पानी में मिश्रित करें इसका एक बूंद का प्रत्येक ml खून के लिए पर्याप्त है।

d&uj

आंत (विसरा) के फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए चौड़ा मुँह वाला करीबन 2लीटर की क्षमता का कांच की बोतल जिसमें एयरटाइट पैक करने की सुविधा हो, ठीक रहेगी। रक्त के नमूनों के लिए छोटी बोतलों की सलाह दी जाती है। प्रत्येक बोतल पर एक विशेष पहचान संख्या और नीचे दिये गये लेबल के अनुसार संकेत करना चाहिए।

प्रकरण / पी.ओ.आर. नम्बर स्थान दिनांक

बनाम राज्य S/o धारा के अधीन

I hy cUn

यह ध्यान रखना चाहिए कि सील-चिंह को तोड़े, हटाये या उनसे छेड़-छाड़ किये बगैर कोई गड़बड़ न की जा सके। सीलबंदी भी एक अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में होना चाहिए और जॉरों को ठीक से लेबल करके तद्दुपरांत लकड़ी के बॉक्स में खूब सारी पैकिंग सामग्री के साथ रखा जाना चाहिए ताकि परागमन में परेशानी न हों। एक कागज पर अलग से मुहर छाप/प्रतिकृति प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि कंटेनर के खोलने से पहले उसके मुहर के साथ मिलान किया जा सके।

QkWfI d i ; kx'kkyk dks Hksts tkus okys nLrkost

- सामग्री के फॉरेंसिक/रासायनिक विश्लेषण हेतु मजिस्ट्रेट या संबंधित कर्मियों का अधिकृत प्रयोगशाला को पत्र, मामला/पी.ओ.आर. नम्बर/जगह दिनांक, बनाम राज्य धारा के अधीन, संदिग्ध विष आदि,
- FIR/POR की एक प्रति।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति।
- निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर।
 - पशु की संदिग्ध प्रजाति।
 - अंतिम भोजन की प्रकृति।
 - वन्यप्राणी जागरूक या मृत पाया गया।

- iv. यदि सचेते या तो उसे पीड़ा थी या शांत था।
 - v. मुँह या नथुनों द्वारा उल्टी या स्त्राव।
 - vi. विष देने की संभावित विधि: मुख्य से या तीर से आदि
5. जांच अधिकारी की शासकीय मुहर के साथ हस्ताक्षर।
